प्रेस विज्ञप्ति

19/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने पंजाब में 22 निजी नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा बीएनएक्स (ब्यूप्रेनॉर्फिन/नलाक्सोन) दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़ी धन शोधन की जाँच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18.07.2025 को चंडीगढ़, लुधियाना, बरनाला और मुंबई स्थित 4 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इन दवाओं का इस्तेमाल नशे के आदी लोगों के पुनर्वास के लिए किया जाता है, लेकिन इनका दुरुपयोग मादक द्रव्यों के सेवन के लिए भी किया जाता है। तलाशी अभियान में अमित बंसल, रुसन फार्मा लिमिटेड और औषधि निरीक्षक रूप प्रीत कौर से जुड़े कार्यालय और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई।

ईडी ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि अमित बंसल अपने 22 नशा मुक्ति केंद्रों की आड़ में बीएनएक्स ड्रग्स खरीद रहा था और उन्हें अवैध रूप से बेचकर भारी मात्रा में आपराधिक आगम (पीओसी) अर्जित कर रहा था। अवैध बिक्री के कारण हुई नशीली दवाओं की कमी को कथित तौर पर खरीद रिटर्न के रूप में दिखाया गया था। इस प्रकार अर्जित पीओसी को बैंक खातों के माध्यम से कई अचल संपत्तियों की खरीद में इस्तेमाल किया गया।

तलाशी के दौरान, दवा स्टॉक रजिस्टर, कई संपत्ति खरीद समझौते और अन्य प्रासंगिक साक्ष्य सहित विभिन्न अपराध-संकेती रिकॉर्ड बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, जो वित्तीय सुराग स्थापित करने और संबंधित संस्थाओं की कार्यप्रणाली का पता लगाने में महत्वपूर्ण थे।

आगे की जांच जारी है।